

प्रेस-विज्ञप्तिथाना दीदारगंजलड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व का विवरण-** दिनांक 09.11.23 को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी विक्रम राजभर s/o राजेन्द्र राजभर R/o चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की बहन को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/23 धारा 363, 366 भादवि बनाम विक्रम राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर ग्राम चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक- 17.11.2023 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विक्रम राजभर s/o राजेन्द्र राजभर R/o चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को भादो मोड़ के पास से समय 09.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 294/23 धारा 363, 366 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

1- विक्रम राजभर s/o राजेन्द्र राजभर R/o चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
3. का0 कुलदीप कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना - अहरौलादुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना का विवरण-** दिनांक 08.11.2023 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीरी सूचना दिया गया कि विपक्षी अयोध्या पुत्र हरिचरन उम्र 22 वर्ष ग्राम डंडारी थाना जैतपुर थाना जनपद अम्बेड़कर नगर द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाया गया तथा शादी करने से इन्कार किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 369/23 धारा 376 भादवि बनाम 1.अयोध्या पुत्र हरिचरन ग्राम डंडारी थाना - जैतपुर जनपद अम्बेड़करनगर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 17.11.2023 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अयोध्या पुत्र हरिचरन उम्र 22 वर्ष ग्राम डंडारी थाना जैतपुर थाना जनपद अम्बेड़कर नगर को पखनपुर मोड़ के पास से समय सुबह 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्याया0 किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 369/23 धारा 376 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -**

1. अयोध्या पुत्र हरिचरन उम्र 22 वर्ष ग्राम डंडारी थाना जैतपुर थाना जनपद अम्बेड़कर नगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 उमेश गौड़ व का0 आलोक कुमार थाना अहरौला आजमगढ़।

## थाना – अहरौला

### शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना का विवरण-** दिनांक 10.09.2023 को वादी मुकदमा हरिराम पुत्र मन्टूराम ग्राम खरूमपुर थाना बावल जनपद रेवाड़ी हरियाणा ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी जयप्रकाश पाण्डेय उर्फ बिन्दु पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय निवासी भैसासुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ आदि 03 नामजद व 02 अज्ञात द्वारा शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके 3 लाख 47 हजार रुपया व कुछ जेवर व कपड़े तथा तीन मोबाइल लेकर चले गये, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 294/2023 धारा 420/406 भादवि बनाम 1. रामकुमार पुत्र राजाराम निवासी बरउद थाना सरपतहा जनपद जौनपुर 2. रामकुन्दन पुत्र सभाजीत सा0 हेना थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर 3. राज तिवारी 4. दो लड़किया व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध बतपतीशी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वतपतीशी व0उ0नि0 श्री पवन कुमार सिंह के किया गया था।

### **गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 17.11.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयप्रकाश पाण्डेय उर्फ बिन्दु पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय निवासी भैसासुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को 2200 रूपये नगद के साथ केदारपुर पुलिस के पास से समय सुबह 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### **पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 294/23 धारा 406,420,506,392,411 IPC थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –**

1. जयप्रकाश पाण्डेय उर्फ बिन्दु पाण्डेय पुत्र रामप्यारे पाण्डेय निवासी भैसासुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष

**बरामदगी-** बरामद कुल रुपया 2200/- नकद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह , का0 बृजभान यादव, का0 प्रमोद यादव व म0का0 बन्दना सिंह थाना अहरौला आजमगढ़ ।

## प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक – 17.11.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु चयनित जनपद के कुल 07 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय आजमगढ़ में वीरता पदक, अति-उत्कृष्ट व उत्कृष्ट सेवा पदक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

### मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक-

➡उप-निरीक्षक श्रीप्रकाश शुक्ला स्वाट प्रभारी जनपद आजमगढ़ को कर्तव्य पालन के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा वीरता पदक एवं रू1000/- का प्रतिमाह भत्ता से सम्मानित किया गया है।

### अति उत्कृष्ट सेवा पदक -

➡ मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार (थाना निजामाबाद), मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार मिश्रा (थाना बिलरियागंज), मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव (थाना तहबरपुर) व मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार पाण्डेय ( पुलिस लाइन्स) को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

### उत्कृष्ट सेवा पदक -

➡उप-निरीक्षक विनय कुमार दुबे स्वाट टीम आजमगढ़ व मुख्य आरक्षी संजय सोनकर (पुलिस लाइन्स) को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

➡पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु जनपद के कुल 24 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया था, जिसमें 18 पुलिस कर्मी गैर जनपद स्थानांतरित हो चुके है।